भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3881

जिसका उत्तर सोमवार, 14 अगस्त, 2014 को दिया जाना है

बिजली से चलने वाली कारों पर राजसहायता हटा लिया जाना

3881. डा. चंदन मित्रा:

श्री बैष्णव परिडा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष 2020 तक बिजली से चलने वाली छह-सात मिलियन कारों और दो-पहिया वाहनों को सड़क पर उतारने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बिजली से चलने वाली कारों के प्रति उपभोक्ताओं के विश्वास को बढ़ाने एवं इन्हें अधिक स्वीकार्य बनाने हेतु क्या कार्यनीति तैयार की गई है;

(ग) क्या सरकार ने बिजली से चलने वाली कारों पर दी जाने वाली राजसहायता हटा ली है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बिजली से चलने वाली कारों को बढ़ावा देने हेतु एक स्पष्ट नीति लागू करने एवं देश भर में विशेष रूप से मध्य प्रदेश में बिजली से चलने वाले वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करके अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्णन)

(क) और (ख): जी, हां। नैशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 के तहत एक योजना व्यय वित्त समिति (ईएफसी) तथा मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस योजना को व्यय वित्त समिति (ईएफसी) तथा मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

इस मिशन प्लान में एक्सईवी के 6-7 मिलियन नए वाहनों की बिक्री करने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020 तक 2.2 - 2.5 मिलियन मी. टन ईंधन की बचत की जा सकती है। इस योजना का प्रयोजन तीव्र अंगीकरण (बाजार निर्माण और इससे संबद्ध क्रियाकलाप), घरेलू प्रौद्योगिकी विकास (अनुसंधान और विकास) और माइल्ड हाइब्रिड, फुल हाइब्रिड वाहनों (एचईवी), प्लग-इन हाइब्रिड्स (पीएचईवी) और प्योर इलेक्ट्रिक वाहनों (बीईवी) (जिन्हें कुल मिलाकर एक्सईवी कहा जाता है) सहित क्लीनर इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकियों की संपूर्ण रेंज के निर्माण को प्रोत्साहित करना है जिससे भारत में एक मजबूत, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी, व्यवहार्य और आत्मनिर्भर इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग और इसके पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन हो सके।

मिशन प्लान 2020 में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अंगीकरण के लिए मांग प्रोत्साहन योजना की परिकल्पना की गई है। इस योजना में एक समेकित दृष्टिकोण का प्रस्ताव किया गया है तथा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की संपूर्ण रेंज (माइल्ड, स्ट्रांग, प्लग-इन, बीईवी वेरियेंट्स शामिल हैं) सहित सभी वाहन क्षेत्र इस प्रोत्साहन योजना के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। इस योजना में एक व्यापक दृष्टिकोण रखने का प्रस्ताव है जिसमें चार्जिंग की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करना, क्षमता सृजन करना और इलेक्ट्रिक कार तथा अन्य वाहनों के प्रति विश्वास में वृद्धि करना तथा अधिक स्वीकार्यता प्रदान करने हेतु अतिरिक्त उपाय करना शामिल है।

(ग): वर्ष 2010-12 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने ₹95 करोड़ की कुल व्यय से भूतल परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन कार्यक्रम (एएफएसटीपी) कार्यान्वित किया था। विद्युत वाहनों के लिए ओईएमएस को प्रोत्साहन दिया गया था। एमएनआरई योजना एक सीमित उपाय है और इसे उद्योग द्वारा किसी प्रमुख वाहन अथवा संघटक विकास क्रियाकलाप के लिए डिजाइन नहीं किया गया है अर्थात् इससे प्रौद्योगिकी संघटक, चार्जिंग की बुनियादी सुविधाएं और आपूर्ति में कोई हस्तक्षेप शामिल नहीं है।

(घ): नैशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 के तहत एक योजना व्यय वित्त समिति (ईएफसी) तथा मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। यह मिशन क्रियाकलापों के एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है। इससे प्रमुख क्रियाकलाप-प्रोत्साहन योजना (उपयोग में लाए जा रहे वाहनों की रेट्रोफिटिंग सहित) के माध्यम से बाजार सृजन; प्रायोगिक प्रदर्शन फ्लीट के लिए परियोजनाएं; सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना तथा चार्जिंग मानक; और प्रौद्योगिकी मंच विकास (वाहन परीक्षण तथा आधिकारिक प्रमाणन अवसंरचना सहित) हैं। इस योजना में मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्य और सभी संघ राज्य क्षेत्र शामिल होंगे।

*****